संख्या-190/2026/आई/1517421/2026/001-23-14002(003)/12/2026-1

प्रेषक,

राहुल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 लखनऊ, दिनांकः 06 नवम्बर, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में लेखाशीर्षक 3054 वी0आई0पी0 विजिट के कार्यों हेतु व्यवस्था योजनान्तर्गत वाराणसी एवं गोरखपुर क्षेत्र के 04 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2026-27 में शासनादेश संख्या- 82/2026/आई/1285715/2026/001-23-14002(003)/12/2026 दिनांकः 31.03.2026 द्वारा विषयगत कार्य की कुल रू0 1017.23 लाख (रू0 दस करोड़ सत्रह लाख तेईस हजार मात्र) के सापेक्ष रु0 610.34 लाख (रूपये छः करोड़ दस लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांकः 24946/CE-HQ1/VVIP/JHA/2026-27 दिनांकः 26.09.2026, 25014/CE-HQ1/VVIP/GON/2026-27 दिनांकः 05.10.2026 एवं 25200/CE-HQ1/ VVIP/GKP/2026-27 दिनांकः 21.10.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वी0आई0पी0 विजिट के कार्यों हेतु व्यवस्था योजनान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अंतिम किस्त के रूप में रू0 396.38 लाख (रू0 तीन करोड़ छियानबे लाख अड़तीस हजार मात्र) की अवशेष धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 स0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	मूल शासनादेश	स्वीकृत/ प्रावैधिक लागत	बचत	बचत उपरान्त की लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रा.ख. वाराणसी	जनपद वाराणसी में मा0 प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के दिनांक 11.09.2025 एवं मा0 प्रधानमंत्री जी मॉरिशस के दिनांक 10.09.2025 से 12.09.2025 हेतु वाराणसी में आगमन एवं भ्रमण कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था हेतु बैरियर/बैरिकेडिंग का कार्य।	82/2026/आई/1285715/2026/001-23-14002(003)/12/2026	365.04	4.30	360.74	219.02	141.72
2.	प्रा.ख. वाराणसी	मा0 प्रधानमंत्री जी भारत सरकार का दिनांक 07.11.2025 से 08.11.2025 को वाराणसी आगमन के दृष्टिगत बैरियर/बैरिकेडिंग, हैलीपैड एवं अन्य विविध कार्य।	तदैव	351.12	4.21	346.91	210.68	136.23

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.	नि.ख.-3 गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक 19.12.2025 को गोरखनाथ उपरगामी पुल के लोकार्पण कार्यक्रम में आगमन पर जर्मन हैंगर, पकौड़ा, मंच पण्डाल साउण्ड सिस्टम, एल0ई0डी0, बैरिकेडिंग, स्विज कार्टेज एवं अन्य सुरक्षात्मक और विविध कार्य।	तदैव	124.93	1.00	123.93	74.96	48.97
4.	नि.ख.-3 गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक 27.01.2026 को नकहा क्रासिंग, खाद कारखाना रोड, भगवानपुर, गोरखपुर में बरगदवा चौराहा से जेल रोड पर समपार संख्या-5ए पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु तथा 04 लेन मार्ग पर स्थित खजांची चौराहा पर फ्लाइओवर का लोकार्पण कार्यक्रम।	तदैव	176.14	1.00	175.14	105.68	69.46
						योग		**396.38**

<u>नियम व शर्तें:-</u>

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लोक निर्माण विभाग द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उप्र, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों की समस्त शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ओन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक: 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल०प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक: 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) उक्त कार्यों से संबंधित मूल शासनादेश संख्या- 82/2026/आई/1285715/2026/001-23-14002(003)/12/2026 दिनांक: 31.03.2026 की शर्तें/प्रतिबंध यथावत रहेगें।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,96,38,000 (रुपये तीन करोड़ छियानबे लाख अड़तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 3054808000800 वी.आई.पी. विजिट के कार्यों हेतु व्यवस्था मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
राहुल सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- उप सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राहुल सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।